प्रस्ताव
51 विद्यालय बांड। K-12 विद्यालय एवं सामुदायिक महाविद्यालय सुविधाओं हेतु वित्तपोषण। पहल संविधि (कानून)।

51

आधिकारिक शीर्षक और सारांश

अटार्नी जनरल द्वारा तैयार किया गया

- सामान्य दायित्व बांडों में $9 अरब प्राधिकृत करता है: K-12 सार्वजनिक विद्यालय सुविधाओं के नव-निर्माण के लिए $3 अरब और आधुनिकीकरण के लिए $3 अरब; चार्टर विद्यालयों एवं व्यावसायिक शिक्षा सुविधाओं के लिए $1 अरब; और केलिफ़ोर्निया सामुदायिक महाविद्यालय सुविधाओं के लिए $2 अरब।
- जब तक नव-निर्माण बांडों से प्राप्त धन व्यय न हो जाए या दिसंबर 31, 2020, जो भी पहले हो, तब तक विद्यालय सुविधाओं के वित्तपोषण के लिए विकास शुल्क लगाने के मौजूदा प्राधिकार में संशोधन को प्रतिबंधित करता है।
- इन बांडों को विद्यालय निर्माण वित्तपोषण का आवंटन करने की मौजूदा राज्य बोर्ड प्रक्रिया में संशोधन को प्रतिबंधित करता है।
- बांडों का भुगतान करने के लिए सामान्य कोष (जनरल फ़ंड) से धन विनियोजित करता है।

विधायी विश्लेषक के निवल राज्य एवं स्थानीय सरकार वित्तीय प्रभाव के आकलन का सारांश:

- बांडों के मूलधन ($9 अरब) और उन पर ब्याज ($8.6 अरब), दोनों के भुगतान के लिए लगभग $17.6 अरब की राज्य लागत। 35 वर्षों तक लगभग $500 मिलियन प्रतिवर्ष के भुगतान।

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

पृष्ठभूमि

California में पब्लिक K–14 शिक्षा में 8.3 मिलियन विद्यार्थी नामांकित हैं। किंडरगार्टन से ग्रेड 12 (K–12) की पब्लिक स्कूल प्रणाली में वर्तमान में लगभग 6.2 मिलियन विद्यार्थी, 10,000 स्कूल (1,100 चार्टर स्कूलों सहित), 950 स्कूली जिले, तथा 58 काउंटी शिक्षा कार्यालय हैं। California Community Colleges में वर्तमान में 72 सामुदायिक कॉलेज जिलों द्वारा परिचालित 113 कैंपसों में 2.1 मिलियन विद्यार्थी हैं। सामुदायिक कॉलेज अंग्रेज़ी, अन्य बुनियादी कौशलों, तथा नागरिकता में पाठ्यक्रम चलाने के साथ-साथ कार्यबल प्रशिक्षण, एसोसिएट डिग्रियाँ, तथा विश्वविद्यालयों में स्थानांतरण के लिए तैयारी भी प्रदान करते हैं।

राज्य समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से मंज़ूर K–12 पब्लिक स्कूल सुविधा-केन्द्र परियोजनाएं। राज्य के मौजूदा School Facilities Program के अंतर्गत, स्कूल राज्य के Office of Public School Construction के समक्ष परियोजना के प्रस्ताव पेश करते हैं। परियोजना के प्रस्ताव भूमि खरीदने, नए भवनों का निर्माण करने, तथा मौजूदा भवनों का आधुनिकीकरण करने (अर्थात, नवीकरण करने) के लिए हो सकते हैं। स्कूल उस स्थिति में नए निर्माण के लिए वित्त-पोषण के हकदार होते हैं यदि उनके पास सभी मौजूदा और संभावित विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त स्थान न हो। कम-से-कम 25 वर्ष पुरानी इमारतों वाले स्कूल आधुनिकीकरण के लिए वित्त-पोषण के हकदार होते हैं।

राज्य और स्थानीय साझेदारी पर आधारित कार्यक्रम। अधिकांश मामलों में, मंज़ूरी प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्य अनुदान का वित्त-पोषण प्राप्त करने वाले स्कूलों को उन परियोजनाओं के लिए स्थानीय वित्त-पोषण में अंशदान देना चाहिए। भूमि खरीदने और नए निर्माण की परियोजनाओं के लिए, राज्य और स्थानीय दोनों में से प्रत्येक का हिस्सा परियोजना की लागतों का 50 प्रतिशत होता है। आधुनिकीकरण की परियोजनाओं के लिए, राज्य का हिस्सा 60 प्रतिशत होता है तथा स्थानीय हिस्सा परियोजना की लागतों का 40 प्रतिशत होता है। यदि स्कूलों के पास पर्याप्त स्थानीय वित्त-पोषण की कमी होती है, तो वे परियोजना की लागत के 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त राज्य अनुदान के वित्त-पोषण के लिए आवेदन कर सकते हैं जिससे उनके अपेक्षित स्थानीय अंशदानों में कमी आती है या वे समाप्त हो जाते हैं।

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

जारी

दो किस्मों की K–12 सुविधा-केन्द्र परियोजनाओं के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम संघटक। बुनियादी कार्यक्रम के अधिकांश नियम, करियर तकनीकी शिक्षा और चार्टर स्कूल सुविधा-केन्द्रों पर लागू होते हैं, लेकिन कुछ कार्यक्रम संघटक अलग होते हैं। हालांकि आधुनिकीकरण की अधिकतर परियोजनाओं के लिए 60 प्रतिशत परियोजना लागतों का भुगतान राज्य करता है, फिर भी यह करियर तकनीकी शिक्षा और चार्टर स्कूल के आधुनिकीकरण की परियोजनाओं के 50 प्रतिशत का भुगतान करता है। (नए निर्माण के लिए हिस्से एक समान हैं।) करियर तकनीकी शिक्षा के लिए, राज्य के अनुदानों पर नए सुविधा-केन्द्र के लिए $3 मिलियन की अधिकतम सीमा तथा आधुनिकीकृत सुविधा-केन्द्र के लिए $1.5 मिलियन की अधिकतम सीमा भी है। चार्टर स्कूल परियोजनाओं के लिए, प्रस्तावों की विशेष राज्य समीक्षा भी करानी चाहिए जिससे यह निर्धारित हो सके कि क्या चार्टर स्कूल वित्तीय रूप से मजबूत है। इन विशेष नियमों के अलावा, इन दो किस्मों की परियोजनाओं के लिए अपने स्थानीय हिस्से की पूर्ति न कर सकने वाले स्कूल राज्य से ऋणों (अतिरिक्त अनुदान के वित्त-पोषण की बजाय) के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्कूलों को अपने करियर तकनीकी शिक्षा ऋण और चार्टर स्कूल ऋण क्रमश: अधिकतम 15-वर्ष और 30-वर्ष की अवधियों में चुका देने चाहिए।

वार्षिक बजट में मंज़ूर सामुदायिक कॉलेज सुविधा-केन्द्र परियोजनाएं। हालांकि सामुदायिक कॉलेज भी भूमि खरीदने, नए भवनों का निर्माण करने, तथा मौजूदा भवनों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य वित्त-पोषण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परियोजनाओं को प्रस्तुत करने और मंज़ूरी देने की प्रक्रिया K–12 सुविधा-केन्द्रों से अलग होती है। राज्य का वित्त-पोषण प्राप्त करने के लिए, सामुदायिक कॉलेज जिलों को परियोजना के प्रस्ताव सामुदायिक कॉलेज प्रणाली के चांसलर के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। चांसलर इसके बाद निर्णय करता है कि कौन-सी परियोजनाएं राज्य बजट प्रक्रिया के भाग के रूप में मंज़ूर तथा वार्षिक राज्य बजट अधिनियम में वित्त-पोषित परियोजनाओं के साथ विधानमंडल और राज्यपाल के समक्ष पेश की जानी हैं।

सामुदायिक कॉलेज सुविधा-केन्द्रों के लिए स्थानीय अंशदान अलग-अलग होते हैं। K–12 सुविधा-केन्द्रों के विपरीत, राज्य का कानून सामुदायिक कॉलेज सुविधा-केन्द्रों के लिए कुछ खास राज्य और स्थानीय अंशदानों का उल्लेख नहीं करता है। इसकी बजाय, सामुदायिक कॉलेज प्रणाली का चांसलर स्कोरिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए सभी प्रस्तुत सुविधा-केन्द्र परियोजनाओं को श्रेणीबद्ध करता है। जिन परियोजनाओं के लिए सामुदायिक कॉलेज अधिक स्थानीय निधियों का योगदान करते हैं, उन्हें स्कोरिंग प्रणाली में अधिक अंक मिलते हैं।

राज्य सामान्य दायित्व बॉण्डों के माध्यम से मुख्य रूप से पब्लिक स्कूल और सामुदायिक कॉलेज सुविधा-केन्द्रों का वित्त-पोषण करते हैं। राज्य खासतौर पर सुविधा-केन्द्र परियोजनाओं का भुगतान करने के लिए सामान्य दायित्व बॉण्ड जारी करता है। अधिकांश मतदाताओं को इन बॉण्डों को मंज़ूरी देनी होगी। 1998 से 2006 तक, मतदाताओं ने चार सुविधा-केन्द्र बॉण्डों को मंज़ूरी दी जिन्होंने K–12 सुविधा-केन्द्रों के लिए कुल $36 बिलियन तथा सामुदायिक कॉलेज सुविधा-केन्द्रों के लिए $4 बिलियन की कुल धनराशि का प्रबंध किया। मतदाताओं ने 2006 से अब तक नए राज्य सुविधा-केन्द्र बॉण्डों को मंज़ूरी नहीं दी है। आज, राज्य के पास पूर्व में जारी किए गए स्कूल और सामुदायिक कॉलेज सुविधा-केन्द्र बॉण्डों से वास्तविक रूप में कोई वित्त-पोषण शेष नहीं रह गया है। (राज्य के बॉण्डों के उपयोग विषय पर और अधिक जानकारी के लिए, इस मतदाता निर्देशिका में बाद में दिया गया "राजकीय बॉण्ड ऋण का संक्षिप्त-विवरण" देखें।)

राज्य वार्षिक ऋण सेवा भुगतान करके समय बीतने के साथ बॉण्डों को भुना लेता है। 2016–17 में, राज्य पूर्व में स्कूल सुविधा-केन्द्रों के लिए जारी किए गए राज्य सामान्य दायित्व बॉण्डों से सेवा ऋण के लिए $2.4 बिलियन का भुगतान कर रहा है तथा सामुदायिक कॉलेज सुविधा-केन्द्रों के लिए $300 मिलियन का भुगतान कर रहा है।

जिले मुख्य रूप से स्थानीय सामान्य दायित्व बॉण्डों के माध्यम से सुविधा-केन्द्रों के लिए स्थानीय वित्त-पोषण जुटाते हैं। स्कूली और सामुदायिक कॉलेज जिले सुविधा-

प्रस्ताव 51 के पूर्ण पाठ्य के लिए, देखें पृष्ठ 118।

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण जारी

केन्द्र की परियोजनाओं की लागत की पूर्ति करने के लिए स्थानीय सामान्य दायित्व बॉण्डों को बेच सकते हैं। जिलों को इन स्थानीय बॉण्डों की बिक्री की मंज़ूरी के लिए अपने मतदाताओं से कम-से-कम 55 प्रतिशत मत प्राप्त करने होंगे। 1998 से अब तक, स्कूली और सामुदायिक कॉलेज जिलों ने सुविधा-केन्द्र परियोजनाओं के लिए स्थानीय सामान्य दायित्व बॉण्डों में क्रमश: लगभग $64 बिलियन और $21 बिलियन की बिक्री की है।

स्थानीय वित्त-पोषण के कुछ अन्य स्रोत। स्थानीय बॉण्डों के अलावा, स्कूली जिले नए विकास पर शुल्क लगाकर स्कूल के सुविधा-केन्द्रों के लिए निधियां जुटा सकते हैं। 1998 से अब तक, स्कूली जिलों ने विकास शुल्क से $10 बिलियन जुटाए हैं। (सामुदायिक कॉलेजों के पास राजस्व-जुटाने का यह विकल्प नहीं होता है।) स्कूल और सामुदायिक कॉलेज जिले पार्सल टैक्सों सहित अन्य विभिन्न पद्धतियों के उपयोग से स्थानीय वित्त-पोषण जुटा सकते हैं, लेकिन वे इन अन्य पद्धतियों का उपयोग बहुत कम करते हैं।

प्रस्ताव

जैसा कि चित्र 1 में दर्शाया गया है, यह विधेयक राज्य के लिए पब्लिक स्कूल और सामुदायिक कॉलेज सुविधा-केन्द्रों के लिए $9 बिलियन के सामान्य दायित्व बॉण्डों की बिक्री करना संभव बनाता है।

K–12 स्कूली सुविधा-केन्द्रों। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, K–12 स्कूली सुविधा-केन्द्रों के लिए चार प्रकार की परियोजनाओं के लिए $7 बिलियन की राशि निर्धारित की गई है: नया निर्माण, आधुनिकीकरण, करियर तकनीकी शिक्षा सुविधा-केन्द्र, तथा चार्टर स्कूल सुविधा-केन्द्रों। राज्य के मौजूदा स्कूली सुविधा-केन्द्र कार्यक्रम के नियम इन निधियों पर लागू होंगे।

सामुदायिक कॉलेज सुविधा-केन्द्र। $2 बिलियन का सामुदायिक कॉलेज वित्त-पोषण किसी भी प्रकार की सुविधा-केन्द्र परियोजना के लिए है जिसमें भूमि की खरीद, नए भवनों का निर्माण, मौजूदा भवनों का आधुनिकीकरण, तथा उपकरणों की खरीदारी शामिल है। मौजूदा पद्धति के अनुरूप, विधानमंडल और राज्यपाल वार्षिक बजट अधिनियम में बॉण्ड के धन से वित्त-पोषित की जाने वाली विशेष सामुदायिक कॉलेज सुविधा-केन्द्र परियोजनाओं को मंज़ूरी देंगे।

राजस्व सम्बन्धी प्रभाव

इस विधेयक से राज्य ऋण सेवा लागतों में बढ़ोतरी होगी। प्रस्तावित बॉण्ड जारी करने पर राज्य की लागत बॉण्ड की बिक्री के समय, बॉण्डों की बिक्री के समय लागू ब्याज की दरों, तथा बॉण्डों के वापसी भुगतान की समयावधि पर निर्भर करेगी। राज्य संभवत: लगभग पांच वर्ष की अवधि में इन बॉण्डों को जारी करेगा तथा लगभग 35 वर्ष की अवधि में राज्य की सामान्य निधि (इसका मुख्य परिचालन खाता) से मूल और ब्याज के भुगतान करेगा। यदि बॉण्ड 5 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर बेचे गए, तो बॉण्डों के वापसी भुगतान की कुल लागत $17.6 बिलियन ($9 बिलियन का मूल और $8.6 बिलियन का ब्याज) होगी। **प्रतिवर्ष औसत भुगतान लगभग $500 मिलियन होगा।** यह राशि राज्य के मौजूदा सामान्य निधि बजट के 1 प्रतिशत के आधे से कम है।

आकृति 1

प्रस्ताव 51: बॉण्ड निधियों के उपयोग

(मिलियन में)

	राशि
K–12 पब्लिक स्कूल सुविधा-केन्द्र	
नया निर्माण	$3,000
आधुनिकीकरण	3,000
कैरियर तकनीकी शिक्षा सुविधा-केन्द्र	500
चार्टर स्कूल सुविधा-केन्द्र	500
उप जोड़	($7,000)
सामुदायिक कॉलेज सुविधा-केन्द्र	$2,000
कुल	**$9,000**

इस विधेयक का कुछ प्रभाव स्थानीय राजस्व उगाहने और सुविधा-केन्द्र के खर्च पर पड़ेगा। नए राज्य बॉण्ड का पास किया जाना संभवत: स्थानीय जिला व्यवहार पर कुछ प्रभाव डालेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्कूली और सामुदायिक कॉलेज जिलों से विशेष तौर पर यह अपेक्षित होता है कि यदि वे राज्य से वित्त-पोषण प्राप्त करना

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

जारी

चाहते हैं तो अपने सुविधा-केन्द्रों में स्थानीय अंशदान करें। स्थानीय व्यवहार पर सटीक प्रभाव अनिश्चित है। एक ओर, कुछ स्कूली और सामुदायिक कॉलेज जिले राज्य की अतिरिक्त निधियों की उपलब्धता के मद्देनजर संभावित रूप से स्थानीय रूप से अधिक धन जुटाएंगे और खर्च करेंगे। इसके परिणामस्वरूप, अगले कुछ वर्षों में इन जिलों में कुल मिलाकर सुविधा-केन्द्र की गतिविधि संभावित रूप से उत्पन्न हो सकती है। इसके विपरीत, अन्य स्कूली और सामुदायिक कॉलेज जिले संभवतया स्थानीय रूप से कम धन जुटाएंगे और खर्च करेंगे क्योंकि राज्य की अतिरिक्त निधियों की उपलब्धता का अर्थ यह है कि उन्हें अपने सुविधा-केन्द्र की परियोजनाओं का पूरा खर्च नहीं उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये जिले संभवतः उतनी ही संख्या में परियोजनाएं पूरी करेंगे जितनी कि वे नया राज्य बॉण्ड न होने पर करते। वे उस राशि की पूर्ति करने के लिए नए उपलब्ध राज्य वित्त-पोषण का उपयोग करेंगे जो वे स्थानीय रूप से अन्यथा जुटा पाते।

इस विधेयक का समर्थन या विरोध करने के लिए प्राथमिक रूप से गठित समितियों की सूची के लिए*http://www.sos.ca.gov/measure-contributions* पर जाएं। समिति के शीर्ष 10 योगदानकर्ता देखने के लिए *http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors/nov-16-gen-v2.html* पर जाएं।

प्रस्ताव 51 के पूर्ण पाठ्य के लिए, देखें पृष्ठ 118।